



43

BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE OF
MADHYA PRADESH GWALIOR

Case No. _____ /2018 Revision

मिगरानी - 6339/2018/मौपान/अ.२

Shubham Sharma S/o Shri Rakesh
Sharma R/o Adarsh Colony Guna
Distt. Guna (M.P.)

----- PETITIONER

VERSUS

श्री. राजेश श्री. गुरुदेव शर्मा
19-11-18
प्रत्यक्ष प्रारम्भिक कार्य हेतु
दिनांक 5-12-18
राजस्व मण्डल
19-11-18

1. State of M.P.
Through Tehsildar Huzoor Distt.
Bhopal
2. Sub-Division Officer (Civil) Huzoor
Distt. Bhopal (M.P.)
3. Commissioner .
Bhopal Division Bhopal (M.P.)
4. Smt. Anjana Mahalbala W/o Shri
Satish Mahlwala 123, Mandakini
Township Phase I EFX Bhopal (M.P.)

-----RESPONDENTS

Noted
5.12.18
G. S. Mishra

REVISION UNDER SEC. 50 OF M.P.L.R.C., 1959
AGAINST THE ORDER IMPUGNED DATED 12.10.18
PASSED BY COMMISSIONER BHOPAL IN REVENUE
SECOND APPEAL NO. 0234/Appeal/2017-18 WHEREBY
THE ORDER IMPUGNED DATED 23.02.18 PASSED BY
SDO HUZOOR IN APPEAL NO. 101/Appeal/16-17 HAS
BEEN MAINTAINED.



LIMITATION : The present Revision is well within limitation
as prescribed U/s 50 (2) (e) of MPLRC

MAY IT PLEASE HON'BLE BOARD,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रण

प्रकरण क्रमांक निगरानी/6339/2018/भोपाल/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से श्री ओपी0श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री देवेन्द्र चौबे, शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध अब पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p> <p> मनोज गोयल</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	